

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**जल संसाधन विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,**  
**जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 3717 / एफ-7-91 / 31 / एस-2 / 2022,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 26/07/2022

मुख्य अभियंता,  
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
बिलासपुर (छ.ग.)

**विषय :-** कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो परियोजना अंतर्गत बांगो बांध के रेडियल गेटों के संचालन के यंत्रों का आधुनिकीकरण जल निकासी मापन यंत्र स्थापित करने का कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।


**संदर्भ :-** प्र.अ.का पत्र क्र.-2111/बो.प्र./A.A./2022/4573, दिनांक 19.05.2022.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो परियोजना अंतर्गत बांगो बांध के रेडियल गेटों के संचालन के यंत्रों का आधुनिकीकरण जल निकासी मापन यंत्र स्थापित करने का कार्य हेतु रु.297.39 लाख (रूपये दो करोड़ सन्तानवे लाख उनतालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।


2. योजनान्तर्गत मिनीमाता बांगो बांध के रेडियल गेटों के संचालन के यंत्रों का आधुनिकीकरण जल निकासी मापन यंत्र स्थापित करने का कार्य प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, लेखाशीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [01]-हसदेव बांगो परियोजना {800}-अन्य व्यय, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (5685) बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 24.06.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयवधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**  
**तथा आदेशानुसार**



**(प्रेमसिंह घरेलू)**

**अवर सचिव**

  
**छत्तीसगढ़ शासन**  
**जल संसाधन विभाग**

